सत्यमेव जयते

No.1/1/2018-Coord.
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

******

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003
Dated: 8 March, 2018

To,

1. Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2. Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson
3. Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
4. Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member
5. Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member

Subject: Summary Record of discussions of 101st Meeting of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 7.2.2018 at 12:00 at Noon.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 101st meeting of the National Commission for Scheduled Tribes was held on 7.2.2018 at 12:00 Hrs. in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

(D.S Kumbhare)
Under Secretary

Copy of the Summary Record of discussions of 101st meeting of NCST is forwarded to the following Officers with request that information about action taken on the decision taken in the meeting concerning each Unit/Office may be furnished to Coordination Cell by 26.3.2018 positively:

(i) Deputy Secretary (RU-I & II)
(ii) Under Secretary (Coordination, Estt. & RU-IV)
(iii) Assistant Director (RU-II)
(iv) Assistant Director (RU-I & OL)
(v) Assistant Director (RU-III & Admin)

Copy of Summary Record of discussion of 101st meeting is enclosed for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. PA to Hon'ble Member (Shri HKD), NCST
4. PS to Hon'ble Member (Shri HCV), NCST
5. PS to Hon'ble Member (Smt. MCI), NCST
6. Sr.PPS to Secretary, NCST
7. PA to Joint Secretary, NCST
8. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
9. NIC, NCST for uploading on the website.

No 1/1/2018-समन्वय.
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

छठा तल, 'बी' विगं, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
दिनांकः8 मार्च, 2018

सेवा में,

1. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष,
2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष,
3. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य,
4. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, माननीय सदस्य,
5. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्य,

विषयः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की दिनांक 7.2..2018 को 12:00 बजे सम्पन्न 101वीं बैठक मे हुई चर्चा का कार्यवृत्त

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय का उल्लेख करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग की 101वीं बैठक आयोग के सम्मेलन कक्ष, लोकनायक भवन, नई दिल्ली मे दिनांक 7.2..2018 को 12:00 बजे सपन्न हुई थी। बैठक की अध्यक्षता श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई। बैठक मे हुई चर्चा का कार्यवृत्त की एक प्रति सूचनार्थ एवं अभिलेख हेतु संलग्न है।

भवदीय,

(डी.एस. कुंभारे)
अवर सचिव

101वीं बैठक की कार्यवृत की एक प्रति निम्नलिखित अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि बैठक मे लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के संबंध मे जानकारी, प्रत्येक संबधित एकक/कार्यालय द्वारा दिनांक 26.3.2018 तक अवश्य ही समन्वय एकक को भेज दी जाए।

1. उप सचिव (अनुसंधान एकक– I & II)
2. अवर सचिव (समन्वय, स्थापना एवं अनुसंधान एकक– IV)
3. सहायक निदेशक, (अनुसंधान एकक– II)
4. सहायक निदेशक, (राजभाषा एवं अनुसंधान एकक–I)
5. सहायक निदेशक (प्रशा. एवं अनुसधान एकक– III)

प्रतिलिपि, 101वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषितः

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव
3. माननीय सदस्य (श्री एच.के.डी) के निजी सहायक
4. माननीय सदस्य (श्री एच.सी.वी) के निजी सचिव
5. माननीय सदस्य (श्रीमती एम.सी.आई) के निजी सहायक
6. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
7. संयुक्त सचिव के निजी सहायक
8. निदेशक/सहायक निदेशक/अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/भुवनेश्वर/जयपुर/रायपुर/रांची/शिलांग।
9. आयोग की एनआईसी वेबसाइट पर डालने हेतु।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 101वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त

(फाईल सं. 1/1/2018–समन्वय)

दिनांक : 7.2.2018

समय : 12.00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

प्रतिभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य
4. श्री मती माया चितांमण इवनाते, सदस्य
5. श्री राघव चंद्रा, सचिव
6. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
7. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
8. श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
9. श्री एस.पी. मीना, सहायक निदेशक
10. श्री आर.के दुबे, सहायक निदेशक
11. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक
12. श्री आर.एस. मिश्र, व. अन्वेषक

बैठक के लिए निर्धारित कार्य सूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

कार्यसूची मद सं0 1	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यक्षेत्र का पुनर्निधारण
Agenda Item No. 1	Re-allocation of area of the Regional Offices of the NCST.

(फाइल संख्या. 32/2/एन.सी.एस.टी/2017–प्रशासन)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों/केन्द्र शासित संघ राज्य क्षेत्रों के पुनः निर्धारण का प्रस्ताव आयोग के विचारार्थ रखा गया। आयोग ने क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण पर चर्चा की तथा कार्य क्षेत्रों मे संशोधन पर सुझाव दिया जो निम्नवत है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(The proposal of re-allocation of area of the Six Regional Offices of NCST was placed for consideration. After deliberations for re-allocation of area of Regional Offices, Commission suggested following modifications.)

वर्तमान (Present)			संशोधित (Modified)		
संख्या	आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय	कार्य क्षेत्र (प्रदेश / संघ शासित क्षेत्र का नाम	संख्या	आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय	कार्य क्षेत्र (प्रदेश / संघ शासित क्षेत्र का नाम
1	Room No. 309, Nirman Sadan, CGO Complex, 52-A, Arera Hills, Bhopal-462011. Ph. 0755-2576530 Fax. 0755-2578272	Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Goa States and Union territories of Dadra & Nagar Haveli and Lakshadweep.	1	Room No. 309, Nirman Sadan, CGO Complex, 52-A, Arera Hills, Bhopal-462011. Ph. 0755-2576530 Fax. 0755-2578272	Madhya Pradesh, Maharashtra, Goa and Uttar Pradesh States and Union territories of Dadra & Nagar Haveli.
2	N-1/297, IRC Village, Bhubaneshwar-751015. Ph. 0674-2551616 Fax. 0674-2551818	Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Tamil Nadu and West Bengal States and Union Territories of Andaman & Nicobar Islands and Puducherry.	2	N-1/297, IRC Village, Bhubaneshwar-751015. Ph. 0674-2551616 Fax. 0674-2551818	Odisha and West Bengal States and Union Territories of Andaman & Nicobar Islands and Puducherry.
3	Room No. 101&102, First Floor, Kendirya Sadan, Sector-10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023. Ph. 0141-2236462 Fax. 0141-2235488	Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan and Uttarakhand States and Union Territories of Daman & Diu, Chandigarh and Delhi NCR.	3	Room No. 101&102, First Floor, Kendirya Sadan, Sector-10, Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023. Ph. 0141-2236462 Fax. 0141-2235488	Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan and Uttarakhand States and Union Territories of Daman & Diu, Chandigarh and Delhi NCR.
4	EAC Colony, Plot no. 3/16, First Floor, Behind District Courts, Near Purnima School Raipur-492001 Ph. 0771-2443334 Fax. 0771-2443335	Chhattisgarh State	4	EAC Colony, Plot no. 3/16, First Floor, Behind District Courts, Near Purnima School Raipur-492001 Ph. 0771-2443334 Fax. 0771-2443335	Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar States.

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5	14, New A.G. Co-operative Colony, Kadru, Ranchi-834002. Ph. 0651-2341677 Fax. 0651-2340368	Bihar, Jharkhand, and Utter Pradesh States.	5	Vijayawada or Hyderabad or Bangalore	Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu States and UT of Lakshdeep.
6	Rabekka Villa, Temple Road, Lower Lachumiere, Shillong-793001 Ph. 0364-2504202 Fax. 0364-2221362	Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura States.	6	Rabekka Villa, Temple Road, Lower Lachumiere, Shillong-793001 Ph. 0364-2504202 Fax. 0364-2221362	Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura States.

1.2 निर्णय स्थगित रखा गया।

(The decision is deferred)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, शिलॉग को गोहाटी स्थानान्तरण करने हेतु।
Agenda Item No. 2	Shifting of Regional Offices of NCST from Guwahati to Shillong.

(फाइल संख्या. 32/2/एन.सी.एस.टी/2017–प्रशासन)

आयोग की 53वीं बैठक दिनांक 22.5.2014 में उपरोक्त प्रकरण पर विचार किया गया, आयोग ने निर्णय लिया कि रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति तथा मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद विचार करना उचित होगा, अतः कार्य सूची को स्थगित रखा जाए।

2.2 आयोग की 84वीं बैठक दिनांक 25.5.2016 में, माननीय अध्यक्ष, ने एन.सी.एस.टी (उत्तर पूर्व) के क्षेत्रीय कार्यालय शिलॉग को मजबूत बनाया जाए, यह कार्य सुविधापरक जन–संपर्क के कारण तथा उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों को कवर करने के लिए शिलॉग क्षेत्रीय कार्यालय को गोहाटी को स्थानान्तरित करके किया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यालय शिलॉग को गोहाटी मे स्थानान्तरण से उत्तर पूर्व के राज्यों के याचिकाकर्ताओं/प्रतिनिधियों को शिकायतों के निवारण के लिए आयोग के पास पहुचनें मे सुविधा होगी।

2.3 **प्रकरण पर विस्तार से चर्चा हुई तथा आयोग ने क्षेत्रीय कार्यालय, शिलॉग को गोहाटी स्थानान्तरण करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की।**

(The above matter was discussed in detail and the Commission agreed for shifting of Regional Office of NCST from Shillong to Guwahati.)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

ADDITTIONAL AGENDA ITEMS

अतिरिक्त कार्य सूची मद संख्या

कार्य सूची मद संख्या 1 **Agenda Item No. 1**	पोलावरम परियोजना, इंदिरा सागर द्वारा देवरागोधी, पोलावरम मण्डलम, जिला–पश्चिमी गोदावरी तथा पुडिपल पंचायत, जिला–पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश) विस्थापित जनजातिय तथा स्थानीय लोगों के संबध में। Displacement of tribals and other local people in Deragodhi, Ploavaram Mandalam, West Godavari District and Pudipall Panchayat in East Godavari District (Andhra Pradesh) due to contruction of Indira Sagar, Polavaram Project.

(File No. 13/1/AP/DEVT/2013/(RU-IV)

उपरोक्त प्रकरण पर दिनांक 24.5.2016 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडीशा तथा छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्य सचिवों, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयेाग तथा सदस्य सचिव पोलावरम अथॉरिटी के साथ मीटिंग की थी। उपरोक्त एजेसियों/संगठनों को मीटिंग की सस्तुतिंया पत्र दिनांक 3.8.2016 तथा अनुस्मारक दिनांक 15.2.2017 द्वारा अग्रसारित करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट भेजने हेतु कहा गया था।

1.2 प्रकरण पर आयोग की 94वीं बैठक दिनांक 23.3.2017 मे चर्चा की गई। बैठक में निश्चित किया गया कि सभी सम्बन्धित राज्यों/विभागों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, सभी सम्बन्धित राज्यों/विभागों की एक मीटिंग आयोजित की जाएगी। उसके उपरांत आयोग पोलावरम प्रोजेक्ट द्वारा विस्थापित लोगों की जीवन यापन की स्थिति की वास्तविकता जानने के लिए एक दौरा करेगा। तदनुसार, सभी ऐजेसिंयों/संगठनों को पत्र दिनांक 11.4.2017 द्वारा याद दिलाया गया।

1.3 यह उल्लेख किया जाता है कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सूट दाखिल किए है। पोलावरम परियाजना प्राधिकरण, हैदराबाद ने पत्र संख्या 3/14/017/पी.पी.ए दिनांक 29.6.2017 द्वारा पोलावरम परियोजना पर दिनांक 20.3.2017 को माननीय उच्चतम न्यायालय में मामलों की स्थिति के बारे मे सूचना दी है। राज्यों/विभागों द्वारा प्राप्त जानकारी निम्नवत है:–

(1) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) का पत्र संख्या 21011/6/2016 दिनांक 19. 4.2017

(2) सदस्य सचिव, पोलावरम अथॉरिटी, हैदराबाद, के रिपोर्ट (पत्र संख्या 3/14/2017/पी.पी.ए) दिनांक 29.6.2017 की प्रति, जो जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा रिजुविनेसन मत्रांलय के पत्र संख्या पी–12011/2/2015/एस.पी.आर–1/3022–24 दिनांक 4.7.2017 द्वारा अग्रसारित।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5/14

(3) तेंलगाना राज्य सरकार, जनजातीय कल्याण विभाग का पत्र संख्या 7/21/2017/टी.आर. आई/एस.ए दिनांक 3.7.2017

(4) छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, जल संसाधन विभाग का पत्र संख्या 6431/610/बी/जसं/तशा/अ.रा./01/डी–4/पार्ट–1 दिनांक 22.12.2017

1.4 उपरोक्त सूचनाओं का अवलोकन करने के पश्चात, आयोग ने निम्नवत संस्तुतिया की:–

(1) पोलावरम प्रोजेक्ट द्वारा विस्थापित लोगो की वास्तविक स्थितियों जानने के लिए आयोग प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेगा।

(2) जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा रिजुविनेसन मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश सरकार को, पोलावरम प्रोजेक्ट द्वारा प्रभावित क्षेत्रो तथा सम्भावित प्रभावित क्षेत्रो की सूची तथा प्रभावित क्षेत्रों/सम्भावित प्रभावित क्षेत्रों के विस्थापितों के लिए मुआवजा राशि तथा प्रदान किए जाने वाले अन्य संशाधनों को स्पष्ट व्यक्तिशः वर्णन प्रकाशित करने को कहा जाए।

(After consideration of the above information, Commission recommended the following points: -

(1) NCST will visit the affected area to assess the real conditions of the displaced persons by Polavaram Project.

(2) Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation and Government of Andhra Pradesh be asked to publish the list of areas affected/to be affected by the Polavaram Project and also the details of compensation in terms of rupees and other resources which are to be provided for affected / to be affected, persons-wise)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

6/14

कार्य सूची मद संख्या 2	उप रजिस्ट्रार (जे), उतराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल की सूचना दिनांक 10.1.2018 द्वारा प्रेषित याचिका संख्या 3237/2017 (एम/एस)–अनिल जेटली, हरिद्वार बनाम मुख्य इंजीनियर, पी.डब्लू.डी, उतराखंड सरकार तथा छ अन्य की प्रति तथा श्री भावेश कुमार शर्मा एवं सुधांशु पालो, एडवोकेट, तीस हजारी कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सूचना दिनांक 22.1.2018 जिसके साथ डबलू.पीसी/आई.वी.आई/2018 की प्रति जो दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली मामला मैसर्स आर.आर. सी कांस्ट्रक्सन, हरिद्वार तथा अन्य बनाम एन. सी.एस.टी, नई दिल्ली, श्री खजान सिंह , देहरादून तथा पी.डब्लू.डी (अतिरिक्त सचिव) उतराखंड सरकार, देहरादून है, जिसमें माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई सिटिंग दिनांक 17.11.2017 के कार्यवृत्त case No. KS/3/2017/STGUL/SEOTH/RU-I में की गई संस्तुतियों के संबंध मे है।
Agenda Item No. 2	Notice dated 10/1/2018 received from the Deputy Registrar (J), High Court of Uttarakhand at Nainital in Writ Petition No. 3237 of 2017 (M/S)-Anil Jetli, Haridwar, Vs Principal Engineer, PWD Government of Uttarakhand and Six Others and a copy of WPC I V I /2018 received from Shri Bhavesh Kumar Sharma and Sudhanshu Palo, Advocates, Tis Hazari Court Delhi filed before Hon'ble High Court of Delhi in the case of M/s RRC Constructions, Haridwar and Others Vs NCST, New Delhi, Shri Khajan Singh, Dehradun and Public Works Departments (through Additional Secretary) Government of Uttarakhand Dehradun regarding proceedings of sitting held on 17.11.2017 under the Chairmanship of Hon'ble Vice-Chairperson, NCST in case No. KS/3/2017/STGUL/SEOTH/RU-I

(File No. Court Case/1/2018/WP No. 3237/2017 - RU-I)

A representation dated 20/09/2017 of Shri Khajan Singh, Village - Saavara, Post-Sujou, Tehsil-Chakrata, District-Dehradun -248183 (Uttarakhand) regarding non-payment of arrear by the Contractor (Shri Anil Jetli) was received in the Commission.

2.2 NCST took up the matter with the Additional Chief Secretary, Public Works Department, Govt. of Uttarakhand and Labour Commissioner, Govt. of Uttarakhand vide letter dated 16/10/2017 for furnishing the facts within 15 days. No reply was received from the aforesaid Departments. Accordingly, Hon'ble Vice-Chairperson fixed a sitting on 13/11/2017 at 12:00 Noon to discuss the matter with Additional Chief Secretary, PWD and Labour Commissioner, Government of Uttarakhand. Due to certain reason sitting was postponed and fixed for 17/11/2017 at 12:00 Noon. Sitting notice was issued on 13.11.2017.

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7/14

2.3 Accordingly, NCST issued proceedings of sittings held on 13.11.2017 and 17.11.2017 to the concerned authorities vide letter dated 30/11/2017 for compliance and Action Taken Report.

2.4 Recommendations of sittings dated 13.11.2017 and 17.11.2017 has been challenged in the Hon'ble High Court of Uttarkhand at Nainital and Hon'ble High Court of Delhi in which Commission has been made Respondent No. 7 and Respondent No. 1. respectively. Concluding para of the proceedings of the sittings is as under: -

"आयोग ने मामले में सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों को परखने के पश्चात यह पाया कि दोनों पक्षों के बीच का मामला केवल दो निजी पक्षों का व्यावसायिक मामला नहीं है, क्योंकि श्री खजान सिहं के किये कार्यो को लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया है, साथ ही दोनों के बीच एक समझौते के द्वारा कार्य का कॉन्ट्रेक्ट किया गया है। अभ्यावेदक श्री खजान सिहं के बकाये राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की मजदूरी भुगतान मे किया जाना है। आयोग ने यह भी पाया कि लागातार आयोग और श्रम आयुक्त की सिटिंग से ठेकेदार श्री अनिल जेटली की अनुपस्थिति भी इस मामले में गंभीर है। अतः आयोग यह अनुशंसा करता है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त ठेकेदार और उनके सयुंक्त उपकम को किसी प्रकार के भुगतान को तत्काल प्रभाव से रोकें और जब तक मामले का निस्तारण नहीं हो जाता है, उक्त कंपनी और ठेकेदार के साथ कोई भी कॉन्ट्रेक्ट या भुगतान कार्य का सम्पादन नहीं किया जाय। साथ ही आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि श्रम आयुक्त दिनांक 21.11.2017 को नियत सिटिंग की कार्यवाई से आयोग को तत्काल अवगत कराएं। साथ ही आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि यदि मुख्य ठेकेदार श्री अनिल जेटली अभ्यावेदक श्री खजान सिंह के बकाए राशि का भुगतान 15 दिन के अंदर नही करते तब ऐसी स्थिति कॉन्ट्रेक्टर के सिक्योरिटी डिपौजिट राशि जो कुल कॉन्ट्रेक्ट की राशि का 10 प्रतिशत होता है में से उक्त बकाए का भुगतान सम्बन्धित विभाग श्री खजान सिंह को नियमानुकुल करें। इसमें विफलता सिद्ध होने पर आयोग सभी सम्बन्धित पक्षों का सम्मन जारी कर आयोग में उपस्थित करने का आदेश देगा। साथ ही साथ चूंकि बकाये राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति के मजदूरों की मजदूरी के भुगतान में किया जाना है, और प्रतिवादी द्वारा इसे रोक कर रखा गया है, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के मजदूरों के प्रति अत्याचार की श्रेणी मे आता हैं। ऐसी स्थिति में यदि इस राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा तक नहीं किया जाता तब आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के सुसंगत धाराओं के अतंर्गत सम्बन्धित प्रतिवादी पर कार्यवाई की अनुशंसा करेगा"।

2.5 प्रकरण पर विस्तृत विवेचना के उपरांत, आयोग ने माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल तथा दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली मे एन.सी.एस.टी का पक्ष रखे जाने का निर्णय लिया।

(After detailed deliberations in the matter, Commission decided to defend the interest of NCST before the Hon'ble High Court of Uttarakhand at Nanital and Hon'ble High Court of Delhi, Delhi.)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

8/14

कार्य सूची मद सख्या. 3	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 9 को संशोधित करने हेतु–मत के संबंध में।
Agenda Item No.3	Consideration of Amendment in Section 9 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) POA Act, 1989-views reg.

(File No. MTA/1/2018/MTAF1/ATOTH/RU-II)

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र संख्या 12014/1/2017–एन.सी.एस.टी दिनांक 3.1.2018 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11011/26/2011–पी.सी.आर (डेस्क) दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 की प्रति जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 9 को संशोधित करने के लिए मसौदा की प्रति संलग्न है, अग्रसारित करते हुए आयोग के मंतव्य भेजने का निवेदन किया है।

3.1 अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 9, अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 23 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के नियम 7 (1) राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामलों के संबंध में इस संहिता के अधीन एक पुलिस अधिकारी द्वारा प्रयोज्य, किसी अधिकारी पर गिरफ्तार करने, अन्वेषण करने एवं अभियोजन चलाने की शक्तियों को प्रदत्त करने से संबंधित है जो यह विनिर्दिष्ट करती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराध का अन्वेषण उप पुलिस अधीक्षक की रैंक से अनिम्न रैंक के एक पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

3.2 यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा जारी नियम प्रावधान करते हैं कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराधों के संबंध में ऐसे अपराधों का अन्वेषण करने वाला अधिकारी पुलिस उप अधीक्षक की रैंक से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 9 के वर्तमान प्रावधान के दृष्टिकोण से राज्य सरकारें अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का अन्वेषण करने के लिए पुलिस थाने के निरीक्षक/एसएचओ को काम पर लगा रही हैं। अभी हाल ही में ओडिशा राज्य का दौरा करते समय एन.सी.एस.टी के सामने भी ऐसे मामले आए जहां राज्य सरकार के अधिकारियों ने आयोग को सूचित किया कि मामलों की त्वरित जांच के लिए निरीक्षक/एसएचओ स्तर के पुलिस अधिकारियों को मामले सौंपना सुविधाजनक होता है और यदि ऐसे मामले पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपे जाते हैं तो मामले के अन्वेषण में विलम्ब होगा। क्योंकि अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामलों का पर्यवेक्षण पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है, निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों का अन्वेषण ठीक ही होगा।

3.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 9 को संशोधित करते हुए यह प्रावधान करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का अन्वेषण पुलिस अधीक्षक रैंक से अनिम्न रैंक के एक पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाए। यदि ऐसा प्रावधान किया जाता है तो राज्य सरकारों के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों को पुलिस उप अधीक्षक रैंक के नीचे के किसी पुलिस अधिकारी को सौंपा जाना संभव नहीं होगा।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3.4. एन.सी.एस.टी द्वारा ओडिशा राज्य समीक्षा के दौरान इस मामले पर तीन जिलों के पुलिस अधीक्षक के साथ–साथ पुलिस महानिदेशक, ओडिशा के साथ चर्चा की गई जहां पर यह राय थी कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सारे मामले विशेष रूप से संबंधित पुलिस अधीक्षकों एवं अपर पुलिस महा निदेशक (एचआरपीसी) द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं एवं समीक्षा की जाती है और केवल पुलिस उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी को अन्वेषण अधिकारी बना देना अनुसूचित जनजातियों के हित में नहीं होगा। राज्य ने यह इंगित किया कि वर्तमान स्थिति को जारी रखा जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अन्वेषण अधिकारी के रूप में एसएचओ/निरीक्षक स्तर के अधिकारी को भी शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन किया जाए।

3.5. चूंकि कई राज्य सरकारें अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों का अन्वेषण एसएचओ/निरीक्षण स्तर के अधिकारियों को सौंपे जाने की समझ रखती हैं, आयोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से इस मामले में राज्य सरकारों के मत/टिप्पणियां मांगने की सिफारिश करना पसंद करेगा। राज्य सरकारों से प्राप्त मत आयोग को उपलब्ध किये जाने चाहिए ताकि अपने उचित परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रस्ताव को आयोग देखने में समर्थ हो जाए।

3.6 प्रकरण पर विस्तृत चर्चा के उपरांत, आयोग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 9 को संशोधित करने के लिए प्रस्तावित मसौदा प्रारूप का समर्थन नहीं किया तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम में संशोधन करने का सुझाव दिया और पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ को डी.एस.पी स्तर के पुलिस अधिकारी के बजाय अत्याचार निवारण अधिनियम –1989 के तहत किसी भी अपराध में जांच कराने का अधिकार दिया जा सकता है।

(After detailed discussion on the above issue, Commission did not support the draft proposal for amendment in Section 9 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 submitted by Department of Social Justice and Empowerment and suggested to amend the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules in order to provide that SHO of a Police Station may be empowered to conduct investigation of any offences under POA Act-1989 instead of DSP level Police Officer)

/Nand Kumar Sai
/Chairperson
अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्य सूची मद सख्या. 4	बैंको तथा अन्य संगठनो जेसे इण्डिया इन्टरनेशनल सेटंर, इण्डिया हैबिटाट सेंटर, आई. सी.आर.आई.ई.आर, आर.आई.एस आदि द्वारा आयोजित आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न अनुसंधान और चर्चा के कार्यकमो में–अनुसूचित जनजातियो से सम्बन्धित समस्याओं और मुद्दो के बारे में चर्चा के लिए कम से कम एक दिन के समतुल्य सत्र रखे जाने के लिए प्रस्ताव।
Agenda Item No. 4	Various programmes and research and deliberations on economic issues-organized by banks and other organizations such as India International Centre, India Habitat Centre, ICRIER, RIS etc-proposal to keep at-least one day equivalent of session reserved for discussion about the problems and issues pertaining to Scheduled Tribes.

(File No. 18/1/2018-Coord)

उपरोक्त प्रस्ताव पर आयोग की 100वीं बैठक दिनांक 1.1.2018 मे चर्चा हुई (कार्य मद सूची संख्या. 3)। बैठक मे लिए गए निर्णय के अनुसार तथा भारत का गणतंत्रदिवस, 2018 की पूर्व संघ्या पर महामहिम राष्ट्रपति का संदेश को ध्यान मे रखते हुए, आयोग ने अर्धशासकीय पत्र संख्या 18/1/18–समन्वय दिनांक 5.2.2018 द्वारा मामला (1) फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा इण्डस्ट्री (2) कनफेडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री (3) पी.एच.डी चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा इण्डस्ट्री (4) एसौचम के संज्ञान में लाया गया है। आयोग के सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया।

4.2 आयोग ने सूचना देखी तथा तय किया कि देशभर के सभी सामाजिक तथा आर्थिक अनुसंधान/शोध/विकास/शैक्षिणक संस्थाओं/पी.एस.यूस/बैंक/ विश्वविदयालयों से भी तदनुसार आग्रह किया जाए और इस बावल पी.आई.बी के माध्यम से देशव्यापी प्रचार किया जाए कि ऐसी व्यवस्थाओं को जनजातीय विकास की दर से अपनाया जाए।

(Commission seen the information and decided that the all Social and Economic Institution/Research/Development/Educational Institutions/PSUs/Banks/Universities of the country should also be requested accordingly and in this regard countryvide publicity be made through PIB that an arrangement keeping in view of the development of Scheduled Tribes should be adopted.)

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 5	उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजातियो की सूची में समुदायों का समावेशन/संशोधन करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रस्ताव।
Agenda Note Item No. 5	Proposal from Ministry of Tribal Affairs regarding inclusion in/ modification of communitties in list of STs of the State of Uttar Pradesh.

(File No. AK/01/Policy/MTA/2017/RU-II)

जनजातीय कार्य मत्रांलय ने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 12026/11/2016–सी.एण्ड एल.एम दिनांक 12.5.2017 के द्वारा छत्तीसगढ, ओडिशा तथा उतर प्रदेश राज्यों की अनुसूचित जनजतियों की सूची में समुदायों का समावेशन/संशोधन करने हेतु प्रस्ताव, आयोग की टिप्पणी के लिए भेजा।

5.2 जनजातीय कार्य मत्रांलय ने उतर प्रदेश राज्य के नवसृजित जनपदों संतकबीर नगर, कुशी नगर, चदौली एवं संतरवि दास नगर में "गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड" समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए, उतर प्रदेश राज्य, समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या 1655/26–3–.2015 दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 की प्रति तथा संलग्न एवं भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का अर्ध शासकीय पत्र संख्या 8/1/2014–एस.एस (यू.पी) दिनांक 24.6.2014 की प्रति एन.सी.एस.टी को प्रेषित की।

5.3 उतर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के प्रस्ताव पर आयोग की 96वीं बैठक दिनांक 30.5.2017 में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि एन.सी.एस.टी सम्बन्धित क्षेत्र में जाकर वस्तु स्थिति आयोग के समक्ष विचार के लिए रखेगा। तदनुसार, एन.सी.एस.टी में टीम का गठन किया गया जिसमें माननीया उपाध्यक्ष महोदया सुश्री अनुसुईया उइके एवं माननीय सदस्य, श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा को नामित किया गया।

5.4 आयोग की टीम ने दिनांक 6–7 सितंम्बर 2017(जिला – चंदौली तथा संत रविदास नगर) तथा 27–30 दिसम्बर 2017 (जिला– संत कबीर नगर तथा कुशी नगर) में उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्धित क्षेत्रों का दौरा किया। दौरा रिपोर्ट में नवसृजित जनपदों संतकबीर नगर, कुशी नगर, चदौली एवं संतरवि दास नगर में गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए उतर प्रदेश राज्य की अनुशंसाओं तथा भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अनुशंसाओं का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव का समर्थन करने का सुझाव दिया गया।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

5.5 एन.सी.एस.टी द्वारा गठित टीम की दौरा रिपोर्टो पर विस्तृत चर्चा के उपरांत आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन किया और अनुशंसा की कि मामले को शीघ्र कार्यवाई के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ उठाया जाए।

(After detailed discussion on the tour report(s) of the team constiutued by NCST, Commission supports proposal made in the report of the team and recommended that the matter be taken up with MoTA for early action.)

नन्द कुमार साय/... mar Sai
अध्यक्ष/Ch...
राष्ट्रीय अनुसू... आयोग
National Commis... Scheduled Tribes
भारत सरका... ...vt. of India
नई दि... New Delhi

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
...hairperson
रा... ...सूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

Any other itmes with permission of the Chair.

कार्यसूची मद सं0 1 **Agenda Item No. 1**	संयुक्त कैडर के ग्रुप बी पदों तथा अन्य पदों के संवर्गो का स्थानातंरण हेतु। Transferring of cadre of Group B posts of Joint cadre and other posts regarding.

बैठक मे संयुक्त कैडर के ग्रुप बी पदों तथा अन्य पदों के संवर्गो का स्थानातंरण के लिए चर्चा हुई। बैठक मे यह मामला आया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अभी तक विभिन्न पदों के संवर्गो (cadres) का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग/जनजातीय कार्य मत्रांलय को स्थानातंरण नही किया है।

1.2 **उक्त प्रकरण पर, अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सचिव के साथ एक बैठक करने का प्रबंध करने का निदेश दिया।**

(On the above issue, the Hon'ble Chairperson directed to arrange a meeting with the Secretary, National Commission for Scheduled Castes.)

(नन्द कुमार साय)
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,
भारत सरकार
नई दिल्ली

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Draft formulation to amend section 9 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

Level of Investigating officer	(i) The State Government/Union Territory Administration shall notify in the Official Gazette that notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure or in any other provision of this Act, an offence committed under this Act shall be investigated by a police officer not below the rank of a Deputy Superintendent of Police/Assistant Commissioner of Police. The investigating officer in the rank of the Deputy Superintendent of Police/Assistant Commissioner of Police, shall be appointed by the State Government/Union Territory Administration/Director General of Police/Commissioner of Police/ Additional Director General of Police/ Special Commissioner of Police/ Inspector General of Police/ Additional Commissioner of Police/ Deputy Inspector General of Police/ Senior Superintendent of Police/ Deputy Commissioner of Police, after taking into account his/her past experience, sense of ability and justice to perceive the implications of the case and investigate it along with right lines within the shortest possible time. (ii) All officers of police and all other officers of Government shall assist the Investigating Officer referred to in sub-section *(1)* in the execution of the provisions of this Act or any rule, scheme or order made thereunder.